न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 68/अपील/18 — तारीख दायरा 22.05.18

1. मड़ी बाई पुत्री सरवन पत्नि श्री सीताराम माली निवासी पिपलाज तहसील खानपुर जिला झालावाड़

——————————अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगीबाई पत्नि श्री बाबूलाल पुत्री बिरधीलाल जाति माली निवासी पिपलाज तहसील खानपुर।
2. तहसीलदार खानपुर
3. राजस्थान सरकार जर्ये पेरोकार सरकार झालावाड़

——————————रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार दिनांक 10.11.17 नामा0सं0 2048 (2047)

उपस्थितः— 1. श्री औकारेश्वर शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री अमितोष आचार्य वकील रेस्पो0 नं0 1

—: निर्णयः— दिनांकः— 17.05.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार खानपुर के निर्णय दिनांक 10.11.17 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर के ख0न0 1169, 1182 ,1194, 1195, 1198, 1198/1653, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 ,1308 जुमला 14 किता की 40 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है जो अपीलान्ट मड़ी बाई के खाते में हिस्सा 1/20 दर्ज है—बजरंगी बाई नें एक रिलिज डीड दिनांक 19.07.17 को उपपंजीयक खानपुर के समक्ष दिनांक 20.07.17 के पंजीकृत हुई है को लेकर तहसीलदार खानपुर में अपना हिस्सा 1/20 अपने खाते में दर्ज कराने का निवेदन किया तहसीलदार खानपुर ने रिलिज डीड से संबंधित राजस्व मण्डल के न्यायिक विनिश्चयों को नजर अंदाज करते हुवे इन्तकाल संख्या 2048 (2047) दिनांक 10.11.17 को खोलने की अनुमति दी—माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक विनिश्चयों में यह आदेश दिया है कि रिलिज डीड के आधार पर सम्पत्ति का अन्तरण नही किया जा सकता है—मौजूदा रिलिज डीड वादग्रस्त है क्योंकि बजरंगीबाई अपीलान्ट के भाई की पुत्री है जबकि अपीलान्ट की सन्तानों में पुत्र भवानीशंकर, गोपाल व पुत्रीयों में सुमित्रा और कमली बाई मौजूद है—अपीलान्ट को धोखा देकर उसकी भतीजी बजरंगी बाई ने रिलीज डीड करवा ली अपीलान्ट 75 वर्ष की आयु की महिला है जो कानो से कम सुनती है और पड़ना लिखना नही जानती है, उसको धोखे से ले जाकर गुमराह करते हुए रिलीज डीड पंजीकृत करवाई है जो कि अपीलान्ट के अधिकारों के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट को अपने पुत्र के माध्यम से दिनांक 10.05.18 को हुई जबकि वह अपना के0सी0सी0 कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकलें लेने गई पटवारी हल्का ने रिलीज डीड व इन्तकाल की जानकारी दीं। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

दिनांक 10.11.17 को खोले गये ग्राम पिपलाज के नामा0 स0 2048 (2047) को खारित किया जाकर अपीलान्ट का नाम बदस्तूर आराजी रेकार्ड में रखा जावे।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस नं0 1 की ओर से वकील श्री अमितोष आचार्य द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई, विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि हक त्याग विलेख द्वारा भूमि के अन्तरण का प्रावधान नही है–हक त्याग विलेख काश्तकारी अधिकारों का एक रेकार्ड काश्तकार से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण का विलेख नही हो सकता साथ ही इस बाबत उनके द्वारा आरआरटी 2008(2) की छायाप्रति प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण स0 2048(2047) दिनांक 10.11.17 को खारिज फरमाकर वृद्व महिला अपीलान्ट को राहत प्रदान की जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषकगण पर गौर किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि प्रश्नगत आराजी पैतृक है या नही एवं इस सम्पत्ति के वारिसान कौन है। इसलिये प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये ग्राम पिपलाज के नामा0सं0 2048(2047) को खारिज किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर का नामा0स0 2048(2047) दिनांक 10.11.17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों को एक बार पुनः तलब कर उनका पक्ष सुने तथा आवश्यक तहकीकात कर पुनः विधि अनुरूप इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही अमल में लावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17.05.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

17.5.19

(करतार सिंह पूनिया)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)